CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2026-8.584

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

सजातीय विवाह और जाति-सत्ता का पुनरुत्पादन: भारत में अंतरजातीय विवाह के विरोध और दबावपूर्ण विवाह के हिंसक परिणामों का गुणात्मक अध्ययन

अश्विनी कुमार "सुकरात"
सहायक प्रोफ़ेसर (शिक्षा)
महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
Email- ashwini.edu21@gmail.com, Mobile-9643273515

First draft received: 18.04.2026, Reviewed: 22.04.2026
Final proof received: 15.05.2026, Accepted: 23.06.2026

सार-संक्षेप

यह शोधपत्र समकालीन भारत में सजातीय विवाह की संस्था के माध्यम से जाति-सत्ता के पुनरुत्पादन की पड़ताल करता है। अध्ययन का केंद्र यह है कि जाति केवल सार्वजनिक भेदभाव, पेशागत विभाजन, धार्मिक पहचान या राजनीतिक प्रतिनिधित्व से नहीं टिकती, बल्कि विवाह, रिश्तेदारी, वंश, सम्मान, संपत्ति और शुद्धता की सामाजिक धारणाओं के नियंत्रण से भी बनी रहती है। भारतीय समाचार स्रोतों, न्यायिक निर्णयों, सरकारी योजनाओं और नीति-दस्तावेज़ों पर आधारित गुणात्मक सामग्री-विश्लेषण यह दिखाता है कि अंतरजातीय विवाह को परिवार और बिरादरी अक्सर निजी चयन नहीं, बल्कि जाति-सीमा के उल्लंघन के रूप में देखते हैं। इसलिए ऐसी वैवाहिक पसंद कई बार हत्या, हमला, सामाजिक बहिष्कार, जुर्माना, धमकी और प्रशासनिक दबाव में बदल जाती है। हालिया मामलों को जोड़ते हुए लेख यह भी जाँचता है कि जब परिवार या जाति-समुदाय किसी युवती को इच्छा-विरुद्ध विवाह या मंगनी की ओर धकेलते हैं, तब अस्वीकारित प्रेम-संबंध और सुरक्षित निकास की अनुपस्थिति कभी-कभी पति या मंगेतर के विरुद्ध हिंसा में बदल सकती है।

लेख पाँच विश्लेषणात्मक समूहों में मामलों को व्यवस्थित करता है: पहला, निम्न-जाति या दलित पुरुष और प्रभावशाली जाति की स्त्री के विवाह पर हिंसक विरोध; दूसरा, प्रभावशाली जाति के पुरुष और निम्न-जाति स्त्री के विवाह पर विरोध, जिसमें उत्पीड़ित समुदायों के भीतर से आने वाली सजातीय निगरानी भी शामिल है; तीसरा, विवाह-पूर्व संबंधों और निकटता की निगरानी; चौथा, खाप पंचायतों, जाति पंचायतों और सामाजिक बहिष्कार की सामुदायिक दंड-व्यवस्था; और पाँचवाँ, दबावपूर्ण विवाह, अस्वीकारित प्रेम और हिंसक निकास के हालिया प्रकरण। आंबेडकर, बुर्दियू और ग्राम्शी के वैचारिक आधार के साथ लेख यह तर्क विकसित करता है कि जाति-उन्मूलन के लिए अंतरजातीय विवाह को केवल निजी साहस या आर्थिक प्रोत्साहन के प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा, सहमति, वैधानिक निकास, सामाजिक मान्यता और राज्यीय उत्तरदायित्व के प्रश्न के रूप में समझना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: *जाति; सजातीय विवाह; जाति-अंतर्विवाह; अंतरजातीय विवाह; दबावपूर्ण विवाह; वैवाहिक सहमति; सम्मान-आधारित अपराध; सामाजिक बहिष्कार; खाप पंचायत; आंबेडकर.*

प्रस्तावना

विवाह में जाति की घरेलू सत्ता

भारतीय समाज में जाति केवल सार्वजनिक असमानता का रूप नहीं है। उसका सबसे टिकाऊ रूप घर के भीतर बनता है: परिवार में, बेटी और बहू की सामाजिक स्थिति में, वंश, रिश्तेदारी और विवाह में। सार्वजनिक स्तर पर समानता, संवैधानिक अधिकार, आरक्षण, प्रतिनिधित्व और आधुनिकता की भाषा दिखाई देती है; फिर भी विवाह के क्षण पर वही समाज जाति, कुल, गोत्र, बिरादरी, सम्मान और शुद्धता की पुरानी संरचनाओं को फिर सक्रिय कर देता है। इसी अर्थ में सजातीय विवाह जाति-व्यवस्था के घरेलू संविधान की तरह काम करता है। वह यह भ्रम बनाए रखता है कि विवाह केवल निजी मामला है, जबकि व्यवहार में वही जाति-सत्ता के पुनरुत्पादन का प्रमुख तंत्र है। तेलंगाना के जाति-सर्वेक्षण पर आधारित एक समाचार-वृत्त में अंतरजातीय विवाहों का अनुपात **5.6** प्रतिशत बताया गया, जिससे संकेत मिलता है कि बहुत बड़ा भाग अब भी अपनी जाति या समुदाय के भीतर विवाह करता है **(The Times of India, 2026a).**

इस अध्ययन का मूल तर्क यह है कि जाति की स्थायित्व-शक्ति केवल धार्मिक ग्रंथों, जाति-आधारित पेशों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व या सामाजिक भेदभाव से नहीं आती। वह इस तथ्य से भी आती है कि वैवाहिक संबंध जाति-सीमाओं के भीतर संपन्न किए जाते हैं। सजातीय विवाह के माध्यम से संतान, संपत्ति, रिश्तेदारी, सामाजिक मान्यता, सांस्कृतिक प्रवृत्ति और प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा जाति-समूह के भीतर सुरक्षित रहती है। इसके विपरीत, अंतरजातीय विवाह उस सीमा को पार करता है। वह केवल दो व्यक्तियों के बीच वैवाहिक बंधन नहीं बनाता; वह दो जाति-विश्वों के बीच रिश्तेदारी, रक्त-संबंध और सामाजिक निकटता स्थापित करता है। इसी कारण अंतरजातीय विवाह पर प्रतिक्रिया कई बार सामान्य पारिवारिक असहमति से आगे बढ़कर हत्या, हमला, आगजनी, सामाजिक बहिष्कार, जुर्माना और पंचायत-स्वीकृत दंड तक पहुँच जाती है।

सजातीय विवाह → बंद वैवाहिक वृत्त → संपत्ति, वंश और मान्यता का जाति-भीतर संचरण → जाति-सत्ता का पुनरुत्पादन

इस लेख में "ब्राह्मणवादी" और "मनुवादी" शब्द किसी ब्राह्मण जन्मे व्यक्ति के लिए नहीं हैं और न ही वे किसी एक जाति-समूह पर आरोप हैं। ये शब्द

उस वैचारिक और सामाजिक संरचना को नाम देते हैं जो जन्म-आधारित पदानुक्रम, शुद्धता और अशुद्धता की द्वैधता, स्त्रियों की वैवाहिक इच्छा पर नियंत्रण, वंश की रक्षा और सजातीय विवाह को सामाजिक नैतिकता में बदलने की प्रक्रिया को स्वाभाविक बनाती है। जब कोई भी जाति-समूह, चाहे उसे तथाकथित ऊँची जाति कहा जाए या तथाकथित नीची जाति, अपने भीतर विवाह को सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़ता है, तो वह व्यवहार में उसी जाति-तर्क को पुनरुत्पादित करता है। इसलिए जाति-आलोचना को सार्वजनिक भाषण, आरक्षण-समर्थन या सामाजिक न्याय की घोषणाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता; उसे विवाह के भीतर जाति की पुनरावृत्ति से भी प्रश्न करना होगा।

शब्द-स्पष्टता: सजातीय विवाह और अंतरजातीय विवाह

इस अध्ययन के लिए शब्दों की स्पष्टता आवश्यक है, क्योंकि हिन्दी में "अंतर्जातीय", "अंतरजातीय" और "अंतर्विवाह" जैसे शब्द अक्सर अर्थ-भ्रम पैदा करते हैं। यहाँ "सजातीय विवाह" और "जाति-अंतर्विवाह" से आशय एक ही जाति के भीतर होने वाले विवाह से है, जैसे ब्राह्मण-ब्राह्मण, यादव-यादव या जाट-जाट। "अंतरजातीय विवाह" से आशय दो अलग-अलग जातियों के बीच विवाह से है, जैसे ब्राह्मण-कायस्थ, जाट-गुर्जर या यादव-कुर्मी। सरल रूप में कहा जाए तो सजातीय विवाह जाति के अंदर विवाह है, जबकि अंतरजातीय विवाह जाति-सीमा के पार विवाह है। इस लेख में "सजातीय विवाह" उस बंद विवाह-वृत्त को नाम देता है जो जाति को पीढ़ियों तक बचाए रखता है, और "अंतरजातीय विवाह" उस सामाजिक प्रक्रिया को नाम देता है जो इस बंद वृत्त को तोड़ती है।

विवाह को जाति-अध्ययन का निर्णायक स्थल बनाने वाली तीन विशेषताएँ हैं। पहली, विवाह ही वह संस्था है जो समूह को सीधे पीढ़ियों में पुनरुत्पादित करती है और केवल वंश नहीं, बल्कि संपत्ति, रिश्तेदारी और सांस्कृतिक प्रवृत्ति भी स्थानांतरित करती है। दूसरी, यह वह संस्था है जहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक-दूसरे से मिलते हैं, इसलिए निजी कहा गया निर्णय भी सामूहिक परिणाम पैदा करता है। तीसरी, यह वह संस्था है जहाँ औपचारिक समानता और वास्तविक पदानुक्रम का अंतर सबसे स्पष्ट दिखता है: समाज साथ खाने, साझा कार्यस्थल और सामान्य राजनीतिक नागरिकता को स्वीकार कर सकता है, पर विवाह पर जाति-रेखा खींच देता है। इसी कारण विवाह का नियमन सार्वजनिक भेदभाव के मापों की तुलना में जाति की निरंतरता का अधिक स्पष्ट संकेतक है।

अंतरजातीय दंपतियों के लिए व्यावहारिक सुरक्षा और सामाजिक नीति

अंतरजातीय विवाह को जाति-विघटन की प्रक्रिया के रूप में समझना तभी सार्थक है जब दंपतियों की सुरक्षा को लेख के हाशिये पर नहीं, बल्कि विश्लेषण के आरंभिक हिस्से में रखा जाए। उपलब्ध मामलों से यह स्पष्ट होता है कि विवाह का निर्णय लेते ही अनेक दंपतियों को परिवार से अलगाव, घर से निकाले जाने, संपत्ति से वंचित किए जाने, आजीविका खोने, हिंसा की धमकी, झूठे मुकदमों, सामाजिक बहिष्कार और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता का सामना करना पड़ता है। इसलिए केवल प्रोत्साहन-राशि देना पर्याप्त नहीं है। आरंभिक **12** से **24** महीनों का संक्रमण-काल दंपति के जीवन में निर्णायक होता है। यदि इस अवधि में सुरक्षित आवास, त्वरित आर्थिक सहायता, विधिक संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग और रोजगार-संबंधी सहारा उपलब्ध हो, तो दंपति धीरे-धीरे स्वतंत्र जीवन-व्यवस्था बना सकते हैं। कई मामलों में परिवार का विरोध समय के साथ कम हो सकता है, पर वह समय तभी निकलता है जब दंपति जीवित, सुरक्षित और आर्थिक रूप से संभले हुए रहें।

इस ढाँचे में विवाह-पूर्व सहमति और सुरक्षित अस्वीकृति को अलग स्तर के रूप में रखना इसलिए आवश्यक है कि कई प्रकरणों में हिंसा विवाह के बाद शुरू नहीं होती; उसकी पृष्ठभूमि विवाह से पहले ही बन चुकी होती है। यदि कोई वयस्क स्त्री या पुरुष परिवार के सामने विवाह से इनकार नहीं कर सकता, यदि मंगनी तोड़ना सामाजिक अपमान में बदल जाता है, और यदि पहले से मौजूद प्रेम-संबंध को वैधानिक तथा संवादात्मक रास्ता नहीं मिलता, तो विवाह एक संबंध के बजाय बंद द्वार बन जाता है। ऐसे द्वार से निकलने का वैध मार्ग जितना कमज़ोर होगा, अवैध और हिंसक निकास की संभावना उतनी ही बढ़ सकती है। इसलिए सुरक्षा-नीति को केवल विवाह के बाद दंपति को बचाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए; उसे विवाह से पहले सहमति, असहमति और सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया भी देनी होगी।

इस सुरक्षा-दृष्टि में विधिक सहायता को दंडात्मक राज्य-प्रयोग के रूप में नहीं, बल्कि दंपति-केंद्रित संरक्षण के रूप में समझना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे कानून तब महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं जब अंतरजातीय विवाह के विरोध में जातिगत अपमान, हिंसा, धमकी या सामाजिक दंड मौजूद हो। परंतु वही कानून सहमति-आधारित विवाह में किसी एक साथी को अपराधी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यदि कोई वयस्क दंपति स्वतंत्र सहमति से विवाह करता है, तो राज्य-कार्रवाई की कसौटी यह होनी चाहिए कि वह दंपति की स्वतंत्र इच्छा और सुरक्षा को मजबूत कर रही है या परिवार और समुदाय के दबाव को वैधानिक रूप दे रही है। इसलिए विवाह-स्वतंत्रता से जुड़े सभी संरक्षण-तंत्र में "दंपति के पक्ष" को केंद्रीय कसौटी बनाया जाना चाहिए।

आर्थिक प्रोत्साहन की वर्तमान नीतियाँ भी इसी कसौटी पर देखी जानी चाहिए। डॉ. आंबेडकर अंतरजातीय विवाह सामाजिक एकीकरण योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह के सामाजिक साहस को मान्यता देना और दंपति को प्रारंभिक जीवन-स्थापन में सहायता देना रहा है; बाद में इसके प्रशासनिक ढाँचे को अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा गया (**Dr. Ambedkar Foundation, 2023; Ministry of Social Justice and Empowerment, 2021**)। यह बदलाव केवल कार्यालयी प्रक्रिया का प्रश्न नहीं है। यदि राशि देर से मिले, कागज़ी प्रक्रिया में अटक जाए या दंपति के वास्तविक संकट से अलग रहे, तो उसका सामाजिक अर्थ कम हो जाता है। इसलिए प्रोत्साहन को समयबद्ध, आपातकालीन और पुनर्वास-संलग्न बनाना होगा। विवाह करने का निर्णय लेने वाले दंपति को सम्मान-राशि से अधिक तत्काल किराया, भोजन, पहचान-दस्तावेज़, आजीविका, संचार-सुरक्षा और विधिक सहायता की आवश्यकता होती है।

सामाजिक स्तर पर ऐसे माता-पिता और परिवारों को भी पहचानना आवश्यक है जो अंतरजातीय विवाह को स्वीकार करते हैं। प्रकरणों में परिवार अक्सर जाति-समुदाय के दबाव में विरोधी भूमिका निभाते हैं; इसलिए सहायक परिवारों का सार्वजनिक सम्मान जाति-सीमा को कमजोर करने वाला प्रतीकात्मक हस्तक्षेप बन सकता है। टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा घर, समाचार माध्यम, विद्यालय, महाविद्यालय, पंचायत सभाएँ और स्थानीय नागरिक संगठन मिलकर अंतरजातीय विवाह को असामान्य घटना के बजाय नागरिक स्वतंत्रता के सामान्य

अभ्यास के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रचार का उद्देश्य किसी परिवार को अपमानित करना नहीं, बल्कि यह दिखाना होना चाहिए कि वयस्कों की सहमति, सुरक्षा और गरिमा संविधान-सम्मत सामाजिक जीवन की न्यूनतम शर्त है।

परिवार-दबाव → घर और संपत्ति से बेदखली → आवास और आजीविका संकट → कानूनी और आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता → सामाजिक पुनर्स्थापन

सजातीय विवाह के प्रश्न का एक स्वास्थ्य-संबंधी पहलू भी सावधानी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। एक ही जाति में विवाह का हर उदाहरण निकट रक्त-संबंध नहीं होता, और इस विषय पर कोई सरल जैविक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। फिर भी जिन समाजों में लंबे समय तक बंद विवाह-वृत्त बने रहते हैं, वहाँ संस्थापक प्रभाव, सीमित वैवाहिक पूल और निकट संबंधों की पुनरावृत्ति कुछ अप्रकट आनुवंशिक विकारों के जोखिम से जुड़ सकती है (**Bittles & Black, 2010; Moorjani et al., 2013; Nakatsuka et al., 2017**)। इस तथ्य का उपयोग किसी समुदाय को जैविक रूप से कमतर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि विवाह-स्वतंत्रता, स्वास्थ्य-जागरूकता और व्यापक सामाजिक मिलन की आवश्यकता समझाने के लिए किया जाना चाहिए। इसी तरह अंतरजातीय विवाह से वैवाहिक विकल्पों का दायरा बढ़ता है, जिससे दहेज-आधारित सीमित जाति-बाज़ार का दबाव कम हो सकता है। पर दहेज की समस्या केवल चयन-संकुचन से नहीं, संपत्ति, पितृसत्ता और प्रतिष्ठा-प्रतिस्पर्धा से भी जुड़ी है; इसलिए अंतरजातीय विवाह उसे कमजोर कर सकता है, अपने-आप समाप्त नहीं करता।

साहित्य समीक्षा और वैचारिक आधार

भारत में जाति और विवाह पर शोध ने लंबे समय से सजातीय विवाह को जाति की संरचना का मूल तत्व माना है। आंबेडकर ने जाति को केवल श्रम-विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों के विभाजन के रूप में समझा और अंतर्विवाह-निषेध को जाति को बचाए रखने वाला मूल तंत्र माना (**Ambedkar, 2014**)। उनका तर्क था कि जाति की दीवार को केवल सार्वजनिक सुधार से नहीं, विवाह-संबंधों की दीवार को तोड़कर कमजोर किया जा सकता है। इस अध्ययन में यह विचार अंतिम निष्कर्ष की तरह नहीं, बल्कि विश्लेषणात्मक प्रारंभ-बिंदु की तरह ग्रहण किया गया है। प्रश्न यह है कि समकालीन भारत में, कानूनी समानता और लोकतांत्रिक नागरिकता के बावजूद, विवाह के क्षण पर जाति इतनी तीव्रता से क्यों सक्रिय हो जाती है।

नारीवादी साहित्य ने स्पष्ट किया है कि विवाह का नियमन साथ-साथ स्त्रियों का नियमन भी है। चक्रवर्ती दिखाती हैं कि जाति और पितृसत्ता परस्पर निर्मित होती हैं, क्योंकि सजातीय विवाह जाति-शुद्धता और स्त्री-यौनिकता पर नियंत्रण दोनों को सुरक्षित करता है (**Chakravarti, 2018**)। चौधरी उत्तर भारत में सम्मान की सांस्कृतिक भाषा को दर्ज करती हैं, जहाँ जाति और कुल-मानदंडों का उल्लंघन करने वाले दंपतियों पर हिंसा को सामाजिक स्वीकृति मिलती है (**Chowdhry, 2007**)। मोदी बताती हैं कि प्रेम-विवाह करने वाले दंपति ऐसी विधिक व्यवस्था के बीच रास्ता बनाते हैं जो उन्हें सुरक्षा भी दे सकती है और निगरानी में भी रख सकती है (**Mody, 2008**)। ग्रोवर यह दिखाती हैं कि रिश्तेदारी-सहयोग का वापस लिया जाना भी वैवाहिक चयन को नियंत्रित करने की तकनीक बन सकता है (**Grover, 2018**)।

जनसांख्यिकीय अध्ययन भी सजातीय विवाह की निरंतरता को पुष्ट करते हैं। नरज़री और लाडुसिंह ने पाया कि अंतरजातीय विवाह अभी भी दुर्लभ है और जाति-सघन क्षेत्रों में इसका अनुपात कम रहता है; साथी-चयन में स्त्री की स्वायत्तता अंतरजातीय विवाह के लिए महत्वपूर्ण कारक बनती है (**Narzary & Ladusingh, 2019**)। तमलापाकुला ने दलितों के बीच अंतरजातीय विवाह को गहरे राजनीतिक अर्थ वाला निर्णय माना है, जहाँ साथी चुनना केवल निजी मामला नहीं रहता, बल्कि जाति-संरचना से टकराव का स्थल बन जाता है (**Tamalapakula, 2019**)। शर्मा जाति-आधारित अपराधों को व्यापक आर्थिक अधीनता और जाति-अत्याचार की संरचना से जोड़ते हैं, जिससे विवाह-संबंधी हिंसा को अलग-थलग अपराध के रूप में समझना पर्याप्त नहीं रहता (**Sharma, 2015**)।

जाति की सैद्धांतिक व्याख्या में भी विवाह का केंद्र बना रहता है। ड्यूमों ने जाति को शुद्धता और अशुद्धता के धार्मिक पदानुक्रम के रूप में समझा, जिसमें सजातीय विवाह समूह की अनुष्ठानिक स्थिति को बचाए रखता है (**Dumont, 1980**)। बाद के आलोचकों ने बताया कि यह व्याख्या भौतिक प्रभुत्व और शक्ति को पर्याप्त स्थान नहीं देती (**Berreman, 1972; Gupta, 2000**)। देशपांडे जाति को आर्थिक और सामाजिक पूँजी के टिकाऊ रूप के रूप में पढ़ती हैं, जिसका हस्तांतरण बंद वैवाहिक वृत्तों से सुरक्षित होता है (**Deshpande, 2011**)। जोधका का तर्क है कि समकालीन भारत में जाति समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसने सार्वजनिक औचित्य से पीछे हटकर विवाह और रिश्तेदारी के अंतरंग क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखी है (**Jodhka, 2018**)।

सम्मान-आधारित हिंसा पर साहित्य भी विवाह को स्त्री-नियंत्रण और समुदाय-नियंत्रण के संयुक्त स्थल के रूप में देखता है। वेल्चमैन और हुसैन ऐसे अपराधों को सांस्कृतिक विचित्रता की तरह देखने से सावधान करते हैं और उन्हें स्त्रियों की यौनिकता पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण में स्थित करते हैं (**Welchman & Hossain, 2005**)। विश्वनाथ और पलकोंडा भारत में सम्मान की उस विचारधारा का विश्लेषण करते हैं जो ऐसे अपराधों को सामाजिक भाषा देती है (**Vishwanath & Palakonda, 2011**)। भारतीय विवाह-समाजशास्त्र में अनुलोम और प्रतिलोम संघ का भेद भी इसी चर्चा से जुड़ता है। अनुलोम में उच्च-स्थिति पुरुष निम्न-स्थिति स्त्री से विवाह करता है, जबकि प्रतिलोम में निम्न-स्थिति पुरुष उच्च-स्थिति स्त्री से विवाह करता है। समकालीन मामलों में प्रतिलोम संघों पर अधिक घातक प्रतिक्रिया इस बात का संकेत देती है कि स्त्री की वैवाहिक इच्छा को जाति-सीमा की रक्षा से जोड़ा जाता है।

इस साहित्य से दो रिक्तियाँ उभरती हैं। पहली, मौजूदा शोध का बड़ा भाग क्षेत्र-विशेष या सर्वेक्षण-आधारित है; विभिन्न क्षेत्रों और जाति-स्थितियों में फैले विवाह-संबंधी जाति-संघर्ष के सार्वजनिक अभिलेख को एक साथ देखने का प्रयास अपेक्षाकृत कम हुआ है। दूसरी, प्रमुख विमर्श विरोध को मुख्यतः प्रभावशाली जातियों की हिंसा में रखता है, जिससे अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समुदायों के भीतर सजातीय विवाह-निगरानी का पुनरुत्पादन कम जाँचा गया है। यह लेख इन दोनों रिक्तियों को संबोधित करता है। आंबेडकर से जाति और विवाह का मूल संबंध, बुर्दियू से पूँजी-संरक्षण का तर्क, और ग्राम्शी से सांस्कृतिक वर्चस्व की समझ लेकर यह अध्ययन अंतरजातीय विवाह के विरोध को अलग-थलग पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना के नियमित रखरखाव के रूप में देखता है (**Bourdieu, 1986; Gramsci, 1971**)।

साहित्य-साक्ष्य → सजातीय विवाह का तंत्र → पूँजी और सम्मान का बंद संचरण → जाति-सीमा की रक्षा → अंतरजातीय विवाह और वैवाहिक सहमति का संघर्ष

शोध-पद्धति

यह अध्ययन गुणात्मक सामग्री-विश्लेषण को दस्तावेज़-आधारित प्रकरण-विश्लेषण के साथ जोड़ता है। इसका उद्देश्य घटना-संख्या की सांख्यिकीय गणना करना नहीं, बल्कि विरोध की सामाजिक रचना, दंड के रूप, विधिक प्रतिक्रिया और समुदाय-परिवार संबंध को समझना है। अध्ययन तीन प्रश्नों से संचालित है। पहला, समकालीन भारत में अंतरजातीय विवाह का विरोध किन सामाजिक तंत्रों से संगठित होता है। दूसरा, यह विरोध जाति और लिंग के अलग-अलग विन्यासों में, ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों के भीतर सहित, कैसे वितरित है। तीसरा, उपलब्ध प्रमाण किस प्रकार के राज्यीय और सामाजिक हस्तक्षेप को आवश्यक बताते हैं, ताकि अंतरजातीय विवाह हिंसा का अवसर बनने के बजाय जाति-विघटन की प्रक्रिया बन सके।

स्रोत-समूह में **2003** से **2026** के बीच अंग्रेज़ी और हिन्दी समाचार माध्यमों में दर्ज अंतरजातीय विवाह-संघर्ष शामिल हैं। इनमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी और दैनिक भास्कर जैसे स्रोत शामिल हैं। इन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों, विधि आयोग के प्रतिवेदनों और सरकारी योजना-दस्तावेज़ों से पूरित किया गया। समाचार-वृत्तों को यहाँ अंतिम तथ्य-निर्णय नहीं माना गया है; उन्हें सार्वजनिक घटनाओं के अभिलेख के रूप में लिया गया है। जिन मामलों में न्यायिक परिणाम, प्राथमिकी, गिरफ्तारी या न्यायालयी टिप्पणियाँ उपलब्ध थीं, उन्हें अधिक प्रमाणगत वजन दिया गया। जिन मामलों में जातिगत कारण विवादित था या बाद की सूचना में संशोधन हुआ, उन्हें चर्चा में सावधानी से रखा गया और किसी गिनती के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया।

मुख्य स्रोत-समूह के अतिरिक्त **2025** और **2026** के कुछ हालिया मामलों को पूरक सामग्री के रूप में देखा गया। इन मामलों में परिवार-दबाव या इच्छा-विरुद्ध विवाह, विवाह-पूर्व प्रेम-संबंध, विवाह या मंगनी के बाद पति अथवा मंगेतर के विरुद्ध कथित हिंसा और घटना को दुर्घटना या लूट की तरह दिखाने के प्रयास जैसे तत्व सामने आए। इन प्रकरणों को अपराध-सिद्धि के रूप में नहीं, बल्कि विवाह-दबाव और हिंसक निकास के उभरते सामाजिक प्रतिरूप को समझने के लिए व्याख्यात्मक सामग्री के रूप में रखा गया है। जिन मामलों में न्यायिक निर्णय अभी नहीं हुआ है, वहाँ भाषा आरोप, पुलिस-कथन, रिपोर्ट और कथित भूमिका तक सीमित रखी गई है।

हर प्रकरण को तीन आयामों पर व्यवस्थित किया गया: दंपति का जाति-लिंग विन्यास, विरोध का स्रोत और दंड या हिंसा का रूप। विन्यास में निम्न-जाति या दलित पुरुष और प्रभावशाली जाति की स्त्री, तथा प्रभावशाली जाति का पुरुष और निम्न-जाति स्त्री जैसे संबंध शामिल किए गए। विरोध के स्रोत में स्त्री का परिवार, पुरुष का परिवार, उत्पीड़ित जाति-पक्ष, खाप पंचायत, जाति पंचायत या बिरादरी संगठन शामिल हुए। दंड के रूप में हत्या, हमला, आगजनी, सामाजिक बहिष्कार, जुर्माना, शुद्धि-दबाव, संरक्षण-याचिका और सुरक्षित आवास की आवश्यकता दर्ज की गई। यह संहिताकरण अंतिम वर्गीकरण नहीं है; इसका उद्देश्य पैटर्न को समझने योग्य बनाना है।

अध्ययन की सीमाएँ भी स्पष्ट हैं। यह केवल उन मामलों पर आधारित है जो सार्वजनिक अभिलेख में आए; इसलिए वह सजातीय विवाह के शांत और नियमित संचालन को कम प्रस्तुत करता है, जो समाचार नहीं बनता। समाचार माध्यमों में क्षेत्रीय और भाषिक पक्षपात भी मौजूद हो सकते हैं। अध्ययन दो दशकों से अधिक समय को समेटता है, जिसमें कानून, पत्रकारिता और सामाजिक प्रतिक्रिया बदलती रही है। ये सीमाएँ विश्लेषण को अमान्य नहीं करतीं, पर दावे की सीमा तय करती हैं। इसलिए लेख विरोध की सामाजिक तर्क-व्यवस्था और दंड-रूपों की व्याख्या करता है, न कि पूरे भारत में अंतरजातीय विवाह-विरोध की सांख्यिकीय दर प्रस्तुत करता है। नैतिक रूप से अध्ययन सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री पर आधारित है। जिन व्यक्तियों पर आरोप है पर न्यायिक निर्णय नहीं हुआ, उनके नाम नहीं दिए गए।

समाचार स्रोत → प्रकरण-संहिताकरण → जाति-लिंग विन्यास → विरोध या दबाव का स्रोत → हिंसा या दंड का रूप → व्याख्यात्मक प्रतिरूप

विश्लेषण

प्रकरणों को देखने पर अंतरजातीय विवाह का विरोध एक ही स्रोत से नहीं आता। वह परिवार, रिश्तेदारी, बिरादरी, जाति संगठन, खाप पंचायत, स्थानीय प्रशासन और सामाजिक बहिष्कार की परतों में सक्रिय होता है। कई बार परिवार अपने स्तर पर विरोध करता है; कई बार वह स्वयं समुदाय-दबाव का वाहक बन जाता है; और कई बार वह विवाह स्वीकार भी कर चुका होता है, पर जाति-समूह के दंड के भय से पीछे हट जाता है। इसलिए इस विश्लेषण में परिवार को स्वतंत्र इकाई मानना पर्याप्त नहीं है। परिवार जाति-सत्ता का प्रहरी भी हो सकता है और उसका बंधक भी। यही द्वंद्व अंतरजातीय विवाह के विरोध की संरचना को समझने की कुंजी है।

अंतरजातीय संबंध → जाति-सीमा का उल्लंघन → परिवार-सम्मान का संकट → बिरादरी निगरानी → हिंसा, बहिष्कार या विधिक दबाव

निम्न-जाति पुरुष और प्रभावशाली-जाति स्त्री

स्रोत-समूह में सबसे तीखी हिंसा उन प्रकरणों में दिखाई देती है जहाँ दलित या निम्न-जाति पुरुष प्रभावशाली जाति की स्त्री से विवाह करता है। इस विन्यास में स्त्री की वैवाहिक इच्छा निजी पारिवारिक असहमति नहीं रह जाती, बल्कि जाति-समूह की सामूहिक प्रतिष्ठा से जुड़ जाती है। बेटी को जाति-मान की वाहक माना जाता है और उसके चयन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बजाय समुदाय के विरुद्ध अपराध की तरह पुनर्परिभाषित किया जाता है। विरोध का प्रमुख स्रोत सामान्यतः स्त्री का पिता, भाई या निकट संबंधी होता है, पर हिंसा कई बार दंपति से आगे बढ़कर पुरुष के परिवार, बस्ती या संपत्ति तक पहुँच जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि दंड किसी निजी नाराज़गी पर नहीं, बल्कि जाति-सीमा के उल्लंघन पर निर्देशित होता है।

तमिलनाडु के कन्नगी और मुरुगेसन प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बनाए रखना इस बात का उदाहरण है कि अंतरजातीय दंपति की हत्या को बाद में न्यायिक रूप से जाति-हिंसा के रूप में पहचाना जा सकता है। ऐसे प्रकरण पद्धतिगत रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे समाचार माध्यमों में प्रारंभिक आरोप के रूप में आई सामग्री को न्यायिक रूप से स्थापित तथ्य में बदलते हैं। इस श्रेणी की कारण-शृंखला स्पष्ट है: स्त्री की वैवाहिक इच्छा जाति-सीमा पार करती है; परिवार इसे सम्मान-संकट के रूप में पढ़ता है; सम्मान-संकट सामुदायिक निगरानी को जन्म देता है; और निगरानी हिंसा या बहिष्कार में बदल सकती है। जाति को शिक्षा, रोज़गार या शहरी सह-निवास से उतना खतरा नहीं लगता जितना वैवाहिक रिश्तेदारी से, क्योंकि विवाह समूह के जैविक और सामाजिक पुनरुत्पादन को सीधे प्रभावित करता है।

यह पैटर्न प्रतिलोम संघ की ऐतिहासिक असहजता से भी जुड़ता है। निम्न-जाति पुरुष का प्रभावशाली जाति की स्त्री से विवाह उस संरचना को चुनौती देता है जिसमें स्त्री को अपने जन्म-परिवार की जाति-सीमा माना जाता है। इसीलिए ऐसे विवाह को केवल साथी-चयन नहीं, नीचे से ऊपर की ओर सीमा-भंग के रूप में देखा जाता है। हिंसा स्त्री के शरीर और पुरुष की जाति-स्थिति दोनों पर निर्देशित होती है। यहाँ पितृसत्ता और जाति एक-दूसरे को मजबूती देती हैं: स्त्री की इच्छा पर नियंत्रण जाति-शुद्धता की रक्षा बन जाता है, और जाति-शुद्धता की रक्षा परिवार-सम्मान की भाषा में वैध ठहराई जाती है।

प्रभावशाली-जाति पुरुष, निम्न-जाति स्त्री और भीतर से विरोध

दूसरा समूह विश्लेषणात्मक रूप से अधिक जटिल है। सामान्य विमर्श अंतरजातीय विवाह के विरोध को मुख्यतः प्रभावशाली जातियों की हिंसा के रूप में देखता है। यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से आवश्यक है, क्योंकि प्रभावशाली जातियों की सत्ता निर्णायक रही है; फिर भी यह पूरी तस्वीर नहीं है। स्रोत-समूह में ऐसे प्रकरण भी हैं जहाँ दलित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आदिवासी परिवारों और जाति-संगठनों ने स्वयं अंतरजातीय विवाह का विरोध किया। यह कहना उचित नहीं होगा कि सभी जातियाँ समान रूप से शक्तिशाली हैं या उत्पीड़न के इतिहास समान हैं। प्रश्न इससे संकीर्ण पर अधिक महत्त्वपूर्ण है: सजातीय विवाह का जाति-तर्क इतना गहरा बैठा है कि जिन समुदायों को जाति-व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से दबाया है, वे भी विवाह के क्षण पर उसी तर्क को दोहरा सकते हैं।

जब कोई उत्पीड़ित जाति-समूह अपने बाहर विवाह को अपमान, चरित्र-दोष या बिरादरी से विश्वासघात मानता है, तो वह व्यवहार में जन्म-आधारित सीमा को स्वीकार करता है। ग्राम्शी की सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा इस स्थिति को समझने में सहायक है: सत्ता केवल दमन से नहीं, बल्कि इस क्षमता से चलती है कि अधीन समूह भी उसकी भाषा में सोचने लगें (**Gramsci, 1971**)। एक प्रकरण में जाति-संगठन ने अंतरजातीय विवाह पर बड़ा जुर्माना लगाया; दूसरे में दोनों परिवारों की सहमति के बावजूद पंचायत ने विवाह को बिरादरी-विरोधी घोषित किया; तीसरे में परिवार को वर्षों तक सामाजिक बहिष्कार, शुद्धि-दबाव और दंड की मांगों का सामना करना पड़ा। इन प्रकरणों का संकेत है कि जाति-विरोधी राजनीति यदि केवल प्रभावशाली जातियों की हिंसा पर रुक जाती है, तो वह उत्पीड़ित समुदायों के भीतर सजातीय निगरानी को अनदेखा कर देती है।

बुर्दियू का पूँजी-संरक्षण संबंधी तर्क इस जटिलता को खोलता है। विवाह केवल भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि पूँजी के संरक्षण और हस्तांतरण की सामाजिक रणनीति भी है। आर्थिक संसाधन, सामाजिक संपर्क, रिश्तेदारी-सहयोग, प्रतिष्ठा और मान्यता विवाह के माध्यम से जाति-समूह के भीतर संचरित होते हैं (**Bourdieu, 1986**)। जिन समूहों के पास आर्थिक पूँजी कम होती है, वे प्रतीकात्मक पूँजी, जैसे बिरादरी में सम्मान और स्वीकृति, को अधिक सावधानी से बचा सकते हैं। इसलिए सजातीय विवाह की रक्षा केवल प्रभावशाली समूहों का विशेषाधिकार नहीं रहती। यह समझ विरोध को उचित नहीं ठहराती, पर यह बताती है कि जाति-सत्ता का तर्क समाज की अलग-अलग परतों में अलग-अलग रूप लेकर काम करता है।

विवाह-पूर्व निगरानी और निकटता की रोकथाम

तीसरा समूह दिखाता है कि जाति-सत्ता विवाह हो जाने के बाद ही नहीं, उसके पहले भी सक्रिय होती है। प्रेम-संबंध, मित्रता, बातचीत, भागकर विवाह करने की संभावना या विवाह की चर्चा भी जाति-सीमा के लिए खतरा मानी जा सकती है। इसलिए जाति केवल विवाह-संस्था को नियंत्रित नहीं करती; वह भावनात्मक निकटता, संचार, आवागमन और

सार्वजनिक उपस्थिति की भी निगरानी करती है। पद्धतिगत रूप से यह समूह अधिक सावधानी मांगता है। संबंध से जुड़ा हर अपराध जाति-हिंसा नहीं होता। कुछ प्रकरणों में कारण विवादित रहे या बाद की सूचना में संशोधन हुआ। ऐसे प्रकरणों को संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि स्रोत-सत्यापन की आवश्यकता दिखाने के लिए रखा गया है। जाति-आलोचना की विश्वसनीयता उसके नैतिक आग्रह से नहीं, बल्कि प्रमाण के अनुशासन से मजबूत होती है।

सावधानी से देखने पर यह समूह बताता है कि सजातीय विवाह की रक्षा विवाह से पहले की भावनात्मक दुनिया तक फैली है। यदि विवाह जाति-सीमा है, तो वे संबंध जो विवाह तक ले जा सकते हैं, उस सीमा की ओर जाने वाले मार्ग हैं। इन्हीं मार्गों पर निगरानी रखी जाती है। मोबाइल दूरभाष, आवागमन, मित्रता, साथ दिखना और बात करना रोज़मर्रा के नियंत्रण के साधन बन जाते हैं। यह नियंत्रण अक्सर "माता-पिता की चिंता" या "परिवार की देखभाल" की भाषा में सामने आता है, पर उसके भीतर जाति-सीमा की रक्षा सक्रिय रहती है। यही कारण है कि विवाह-पूर्व निगरानी को केवल घरेलू अनुशासन नहीं माना जा सकता; वह जाति-सत्ता का पूर्व-रक्षात्मक रूप है।

मित्रता या प्रेम-संबंध → विवाह की संभावना → जाति-वृत्त पर खतरे की अनुभूति → निगरानी → धमकी, दबाव या हिंसा

खाप पंचायत, जाति पंचायत और परिवार से ऊपर समुदाय

अंतरजातीय विवाह के विरोध को केवल माता-पिता की असहमति समझना उस संरचना को छिपा देता है जो परिवार के ऊपर काम करती है। परिवार अक्सर जाति-समूह, खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत या बिरादरी संगठन के दबाव में निर्णय लेते हैं। सामाजिक बहिष्कार का भय विवाह, मृत्यु-संस्कार, उत्सव, सामूहिक भोजन, संकट में सहायता, रिश्तेदारी और स्थानीय सुरक्षा तक फैला होता है। इसलिए परिवार कई बार स्वयं दंपति का विरोधी नहीं, बल्कि सामुदायिक दंड से डरता हुआ मध्यस्थ होता है। उत्तर प्रदेश के एक प्रकरण में दोनों परिवारों की सहमति के बावजूद पंचायत ने विवाह को जाति-समुदाय के विरुद्ध अपराध माना और जुर्माना लगाया। इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि जाति-सत्ता का केंद्र हमेशा घर के भीतर नहीं, बल्कि घर के ऊपर स्थित समुदाय में भी होता है।

न्यायपालिका ने इस समस्या को पहचाना है। शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने वयस्कों की वैवाहिक स्वतंत्रता में खाप या किसी भी सभा के हस्तक्षेप को संवैधानिक स्वतंत्रता और गरिमा के विरुद्ध माना (**Shakti Vahini v. Union of India, 2018**)। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायालय ने अंतरजातीय विवाह करने वाले वयस्कों की सुरक्षा और पुलिस-प्रशासन की जिम्मेदारी को रेखांकित किया (**Lata Singh v. State of U.P., 2006**)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जाति और खाप निकायों के सामाजिक बहिष्कार संबंधी फरमानों को नागरिकों के मूल अधिकारों पर हमला माना और राज्य से सामाजिक बहिष्कार रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता कही (**The Times of India, 2026d**)। इन निर्णयों का संयुक्त संकेत है कि परिवार, जाति-समूह या समुदाय की अनुमति वयस्क विवाह की विधिक शर्त नहीं हो सकती।

फिर भी विधिक मान्यता और सामाजिक व्यवहार के बीच अंतर बना रहता है। सामाजिक बहिष्कार परिवार को ऐसे दंड से डराता है जिसे सामान्य आपराधिक हिंसा की तरह तुरंत देखा नहीं जाता। बिरादरी से कटना केवल समारोहों से बाहर होना नहीं, बल्कि मान्यता, सहयोग, सुरक्षा और स्थानीय अस्तित्व से बाहर होना है। गुरु ने अपमान को जाति-अनुभव का केंद्रीय तत्व माना है, जो शारीरिक क्षति से अलग भी गहरी चोट पहुँचाता है (**Guru, 2009**)। सामाजिक बहिष्कार इसी अपमान को संगठित दंड में बदल देता है। इसलिए जो परिवार निजी रूप से विवाह स्वीकार कर सकता है, वह सार्वजनिक रूप से उसका विरोध कर सकता है। उसका विरोध केवल विचार का परिणाम नहीं, बल्कि सामुदायिक दंड की आशंका का परिणाम भी हो सकता है।

सामाजिक बहिष्कार धीमी हिंसा के रूप में

हत्या और हमला समाज तथा राज्य को तुरंत दिखाई देते हैं; इसलिए वे तेजी से सार्वजनिक और विधिक चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। सामाजिक बहिष्कार, जुर्माना, शुद्धि-रीति की मांग, रिश्तेदारी का टूटना, बच्चों को अलग करना और सार्वजनिक आयोजनों से बाहर करना तुरंत दिखाई नहीं देते, पर उनके प्रभाव गहरे होते हैं। वे व्यक्ति और परिवार को सामाजिक मृत्यु की स्थिति की ओर धकेलते हैं। बिरादरी से काट दिया जाना आर्थिक सहयोग, संकट में सहायता, अन्य बच्चों के विवाह, मृत्यु-संस्कार, सामाजिक पहचान और स्थानीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सामाजिक बहिष्कार को जाति का "नरम" साधन कहना भ्रामक है। वह धीमी हिंसा है, क्योंकि वह जीवन की शर्तों को धीरे-धीरे काटती है।

महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार निवारण अधिनियम का महत्त्व इसी कारण है कि वह निजी विवाह-निर्णयों को दंडित करने वाली सामुदायिक संरचनाओं को विधिक भाषा में पकड़ने का प्रयास करता है। बहिष्कार को अपराध के रूप में नाम देना उसे समुदाय का आंतरिक मामला कहकर छिपाने की संभावना कम करता है। जहाँ राज्य के पास सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध स्पष्ट कानून नहीं है, वहाँ जाति पंचायतें हत्या किए बिना भी जीवन को दंडित कर सकती हैं। इसीलिए सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध राज्य-स्तरीय और राष्ट्रीय ढाँचा, दंपति-सुरक्षा की नीति का अनिवार्य भाग होना चाहिए।

बिरादरी दंड → सामाजिक बहिष्कार → रिश्तेदारी और सहयोग का टूटना → आर्थिक और भावनात्मक असुरक्षा → वैवाहिक स्वतंत्रता पर सामुदायिक नियंत्रण

दबावपूर्ण विवाह, अस्वीकारित प्रेम और हिंसक निकास

हालिया मामलों का एक पूरक समूह इस अध्ययन के तर्क को नया आयाम देता है। ये मामले सीधे-सीधे अंतरजातीय विवाह के विरोध के प्रकरण नहीं हैं, पर वे उसी विवाह-नियंत्रण की उलटी परिणति दिखाते हैं। परिवार या बिरादरी जब युवती की वैवाहिक इच्छा को अपने निर्णय में समेट लेती है, तब विवाह की औपचारिक सहमति वास्तविक सहमति का स्थान ले लेती है। ऐसे प्रसंगों में पुराना प्रेम-संबंध समाप्त नहीं होता, विवाह को खुलकर अस्वीकार करने का रास्ता उपलब्ध नहीं रहता, और मंगेतर या पति उस सामाजिक बंदिश का दृश्य प्रतीक बन जाता है जिससे युवती निकलना चाहती है। यह विश्लेषण हत्या को उचित नहीं ठहराता; बल्कि यह दिखाता है कि दबावपूर्ण विवाह केवल प्रेमी युगलों को नहीं, बल्कि उन पुरुषों को भी जोखिम में डाल सकता है जिन्हें परिवार ने "उचित" विवाह का साथी माना था।

पुणे के लोहेगढ़ किले से जुड़े **2026** के मामले में पुलिस ने आरोप लगाया कि युवती और उसके कथित प्रेमी ने मंगेतर की हत्या की साजिश रची। रिपोर्टों के अनुसार युवती ने पुलिस से कहा कि परिवार का सामना करने की तुलना में मंगेतर को हटाना उसे आसान लगा; पुलिस ने यह भी कहा कि परिवार को युवती की निकटता के बारे में जानकारी थी और आर्थिक-सामाजिक अंतर विवाह-निर्णय में प्रभावी हुआ (**The Times of India, 2026e; The Times of India, 2026f**)। राजस्थान के श्रीगंगानगर मामले में पुलिस ने कहा कि नवविवाहिता सात वर्ष से चले आ रहे संबंध में थी, परिवार को इसकी जानकारी थी, फिर भी उसका विवाह दूसरे व्यक्ति से कर दिया गया; बाद में पति की हत्या को सड़क-दुर्घटना और लूट की तरह दिखाने का आरोप लगा (**Hindustan Times, 2026**)। उत्तर प्रदेश के औरैया मामले में नवविवाहिता पर आरोप लगा कि उसने विवाह के पंद्रह दिन के भीतर प्रेमी और भाड़े के हमलावर की सहायता से पति की हत्या करवाई (**The Times of India, 2025**)। बिहार के औरंगाबाद मामले में पुलिस के अनुसार युवती का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था, विवाह के लगभग पैंतालीस दिन बाद पति की हत्या में उसके पूर्व संबंध और भाड़े के हमलावरों की भूमिका का आरोप सामने आया (**The Indian Express, 2025b; The New Indian Express, 2025**)। मेघालय से जुड़े नवविवाह हत्या-प्रकरण में भी रिपोर्टों ने परिवार-दबाव, समुदाय के भीतर विवाह और कथित पूर्व प्रेम-संबंध को विवादित पर महत्त्वपूर्ण संदर्भ के रूप में दर्ज किया (**India Today, 2025; NDTV, 2025; The Indian Express, 2025a; Begam, 2025**)।

परिवार-दबाव → इच्छा-विरुद्ध विवाह या मंगनी → पूर्व-प्रेम संबंध का बने रहना → खुला अस्वीकार या अलगाव असंभव होना → पति या मंगेतर को बाधा के रूप में देखना → प्रेमी की सहायता से हिंसक निकास

इन मामलों पर सबसे कठिन प्रश्न यह है कि हत्यारा किसे माना जाए: आरोपित युवती और पूर्व प्रेमी को, या जाति-व्यवस्था और दबावपूर्ण विवाह व्यवस्था को? इस प्रश्न का उत्तर दो स्तरों पर देना होगा। कानून की दृष्टि से हत्या का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व उन्हीं व्यक्तियों पर रहेगा जिनके

विरुद्ध अपराध न्यायिक रूप से सिद्ध होता है। जाति-व्यवस्था, परिवार-दबाव या विवाह-संरचना किसी व्यक्ति को हत्या की छूट नहीं देते और न ही पीड़ित पति या मंगेतर की मृत्यु को हल्का करते हैं। पर समाजशास्त्रीय विश्लेषण यहीं समाप्त नहीं हो सकता। यदि कोई व्यवस्था वयस्क स्त्री की असहमति को सुनने से इनकार करती है, जाति या बिरादरी की शर्तों को विवाह की अंतिम कसौटी बनाती है, और संबंध से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता बंद करती है, तो वह प्रत्यक्ष अपराधी नहीं होते हुए भी हिंसा की संरचनात्मक पृष्ठभूमि बनाती है। इसलिए व्यक्ति विधिक अपराधी हो सकता है, जबकि जाति और विवाह व्यवस्था सामाजिक सह-कारक के रूप में विश्लेषण के केंद्र में रहती हैं।

इस पूरक समूह से शोधपत्र का तर्क कमजोर नहीं, बल्कि अधिक व्यापक होता है। अब प्रश्न केवल यह नहीं रह जाता कि अंतरजातीय दंपतियों को परिवार या बिरादरी से कैसे बचाया जाए। प्रश्न यह भी है कि "उचित" माने गए सजातीय या समुदाय-अनुकूल विवाह में बाँधे गए व्यक्तियों की वास्तविक सहमति कैसे सुनिश्चित की जाए। जिन विवाहों में असहमति को दबाया जाता है, वहाँ हिंसा दो दिशाओं में जा सकती है: पहली, परिवार प्रेमी युगल पर हमला कर सकता है; दूसरी, दबावग्रस्त विवाह में बँधा व्यक्ति पति, पत्नी या मंगेतर को उस बाधा के रूप में देखने लग सकता है जिसे हटाए बिना पुराना संबंध या स्वायत्त जीवन संभव नहीं दिखता। इसीलिए वैवाहिक स्वतंत्रता केवल अंतरजातीय विवाह का प्रश्न नहीं, बल्कि विवाह से इनकार करने, मंगनी तोड़ने, संबंध समाप्त करने और सुरक्षित अलगाव पाने की स्वतंत्रता का प्रश्न भी है।

इस श्रेणी को जोड़ने से नीति-निहितार्थ भी बदलते हैं। विवाह-पूर्व परामर्श, गोपनीय सहमति-पुष्टि, विवाह रोकने की सुरक्षित प्रक्रिया, पुलिस और परामर्श केंद्रों तक पहुँच, और विवाह के बाद वैधानिक अलगाव के रास्ते को दंपति-सुरक्षा ढाँचे का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। परिवारों को यह सामाजिक संदेश भी देना होगा कि विवाह तोड़ना हत्या, आत्महत्या या फरारी की तुलना में कम हिंसक और अधिक वैधानिक रास्ता है। इस प्रकार जाति-सत्ता विवाह को नियंत्रित करती है, और विवाह-दबाव केवल अंतरजातीय दंपतियों पर हमला नहीं करता; वह कभी-कभी उन व्यक्तियों को भी हिंसा की ओर धकेलता है जिन्हें परिवार ने "उचित" विवाह में बाँध दिया था।

समेकित चर्चा

पाँचों समूहों को साथ देखने पर एक साझा पैटर्न उभरता है। सजातीय विवाह जाति के जैविक और सामाजिक पुनरुत्पादन का साधन है। स्त्रियों की वैवाहिक इच्छा को परिवार और जाति-सम्मान से बाँधा जाता है। परिवार हमेशा स्वायत्त इकाई नहीं, बल्कि बिरादरी और जाति-समुदाय के दबाव का माध्यम भी है। उत्पीड़ित समुदायों के भीतर सजातीय निगरानी यह बताती है कि जाति-तर्क केवल प्रभुत्वशाली समूहों तक सीमित नहीं रहता। दबावपूर्ण विवाह और हिंसक निकास के हालिया मामले यह जोड़ते हैं कि वैवाहिक असहमति को दबाने वाली व्यवस्था केवल प्रेमी युगलों पर हिंसा नहीं करती; वह उन लोगों को भी असुरक्षित कर सकती है जिन्हें सामाजिक रूप से "ठीक" विवाह का साथी बनाया गया था।

इस पूरे विश्लेषण में लिंग-तर्क केंद्रीय है। स्त्रियाँ जाति-शुद्धता की वाहक के रूप में निर्मित की जाती हैं, क्योंकि जाति जन्म और वंश के माध्यम से आगे जाती है। इसलिए स्त्री की वैवाहिक इच्छा पर नियंत्रण समूह की सीमा पर नियंत्रण है। चक्रवर्ती ने इसे ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के रूप में समझाया है, जहाँ जाति और लिंग-शासन एक-दूसरे को सह-निर्मित करते हैं (**Chakravarti, 2018**)। प्रभावशाली जाति की स्त्री द्वारा निम्न-जाति पुरुष को चुनना परिवार और समुदाय को अधिक असह्य प्रतीत होता है, क्योंकि यह स्त्री के शरीर और जाति-वंश दोनों पर नियंत्रण को चुनौती देता है। इसी कारण अंतरजातीय विवाह के विरोध का कोई भी अध्ययन यदि लिंग को केंद्र में नहीं रखता, तो वह परिणाम को कारण समझने का जोखिम उठाता है।

राज्य की भूमिका भी दोहरी है। एक ओर संविधान, न्यायालय और योजनाएँ वयस्कों की वैवाहिक स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं; दूसरी ओर स्थानीय पुलिस और प्रशासन कई बार दंपतियों को सुरक्षा-योग्य नागरिक के बजाय सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या की तरह देखते हैं। मोदी ने प्रेम-विवाह के संदर्भ में विधिक व्यवस्था की इसी दोहरी प्रकृति को पहचाना है: वही व्यवस्था विवाह को संभव भी बनाती है और निगरानी में भी रखती है (**Mody, 2008**)। इसलिए कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। ज़िला-स्तरीय सुरक्षा-प्रकोष्ठ, सुरक्षित आवास, त्वरित संरक्षण-आदेश, सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध कार्यवाही, समयबद्ध आर्थिक सहायता और नागरिक संगठनों का सहारा एक साथ काम करेंगे तभी अंतरजातीय दंपति वास्तव में सुरक्षित होंगे।

नीति-निहितार्थ और कार्यान्वयन की दिशा

इस अध्ययन से निकलने वाला पहला नीति-निहितार्थ यह है कि अंतरजातीय विवाह को केवल आर्थिक प्रोत्साहन से बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आर्थिक सहायता आवश्यक है, पर वह सुरक्षा, आवास, विधिक सहायता और सामाजिक समर्थन के बिना अधूरी रहती है। कई दंपति विवाह के बाद घर, आय, दस्तावेज़, पारिवारिक समर्थन और स्थानीय सुरक्षा से एक साथ कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रोत्साहन-राशि यदि महीनों या वर्षों बाद मिले, तो वह वास्तविक संकट में उपयोगी नहीं रहती। इसलिए राज्य को विवाह-उपरांत आरंभिक **12** से **24** महीनों को उच्च जोखिम-काल मानकर विशेष सहायता देनी चाहिए। इस अवधि में दंपति को सुरक्षित आवास, निर्वाह-सहायता, पहचान-दस्तावेज़, बैंक-सुरक्षा, आजीविका-संपर्क और परामर्श मिलना चाहिए।

दूसरा नीति-निहितार्थ यह है कि कानून का उपयोग दंपति की सहमति और सुरक्षा की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। यदि किसी प्रकरण में जातिगत अपमान, धमकी, हिंसा या बहिष्कार है, तो संबंधित कानूनों का प्रयोग दंपति की रक्षा के लिए होना चाहिए। यदि परिवार या जाति-समूह कानून को सहमति वाले साथी को दंडित करने के साधन में बदलना चाहे, तो राज्य को वयस्क सहमति की स्वतंत्र जाँच करनी होगी। इस दृष्टि से विवाह-सुरक्षा प्रकोष्ठों को केवल पुलिस व्यवस्था नहीं, बल्कि विधिक, मनोसामाजिक और पुनर्वास-संबंधी संयुक्त तंत्र होना चाहिए। दंपति की आवाज़ को केंद्रीय माना जाए; परिवार या समुदाय को दंपति की स्वतंत्र इच्छा पर निर्णायक अधिकार न दिया जाए।

तीसरा निहितार्थ सामाजिक मान्यता से जुड़ा है। अंतरजातीय विवाह को केवल असाधारण साहस या संकट की घटना के रूप में प्रस्तुत करने से समाज में उसका सामान्यीकरण नहीं हो सकेगा। विद्यालय, महाविद्यालय, पंचायत, महिला संगठन, श्रमिक संगठन, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग संगठन, मानवाधिकार समूह और जनमाध्यम मिलकर ऐसी सार्वजनिक भाषा बना सकते हैं जिसमें वयस्क सहमति, विवाह-स्वतंत्रता और सामाजिक समानता को सामान्य नागरिक मूल्य माना जाए। जो माता-पिता अंतरजातीय विवाह स्वीकार करते हैं, उन्हें सामुदायिक संवादों में सम्मानित किया जाना चाहिए। इससे जाति-समुदाय को यह संकेत मिलता है कि सहमति-आधारित विवाह परिवार की हार नहीं, लोकतांत्रिक नागरिकता की स्वीकृति है।

चौथा निहितार्थ विवाह-बाज़ार की संरचना से जुड़ा है। जब विवाह केवल जाति के भीतर सीमित रहता है, तो चुनाव का दायरा घटता है और प्रतिष्ठा, दहेज, गोत्र, उपजाति और बिरादरी की शर्तें विवाह-निर्णय को अधिक नियंत्रित करती हैं। अंतरजातीय विवाह इस संकुचित चयन को विस्तृत करता है। इससे दहेज-संबंधी दबावों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, यद्यपि दहेज का संबंध केवल जाति-सीमा से नहीं, संपत्ति, पितृसत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी है। स्वास्थ्य के स्तर पर भी व्यापक वैवाहिक विकल्प जैविक विविधता, निकट संबंधों की पुनरावृत्ति और स्वास्थ्य-जागरूकता के प्रश्नों पर सार्वजनिक संवाद खोलते हैं। यह क्षेत्र निर्णायक जैविक निष्कर्षों की जगह सावधान सामाजिक स्वास्थ्य-चर्चा की मांग करता है।

पाँचवाँ निहितार्थ दबावपूर्ण विवाह और सुरक्षित अस्वीकृति से जुड़ा है। यदि कोई वयस्क व्यक्ति विवाह नहीं करना चाहता, मंगनी तोड़ना चाहता है, या विवाह के बाद संबंध समाप्त करना चाहता है, तो उसे सामाजिक अपमान और हिंसा के भय से मुक्त वैधानिक रास्ता मिलना चाहिए। जिला-स्तरीय सहायता केंद्र, गोपनीय परामर्श, विवाह-पूर्व सहमति की स्वतंत्र पुष्टि, सुरक्षित अलगाव और अस्थायी आवास जैसी व्यवस्थाएँ केवल अंतरजातीय दंपतियों के लिए नहीं, बल्कि हर दबावग्रस्त विवाह के लिए आवश्यक हैं। इससे हत्या, आत्महत्या, फरारी और झूठे आरोपों के जोखिम को कम किया जा सकता है।

दबावपूर्ण विवाह → असहमति का दमन → वैध निकास का अभाव → वैवाहिक संकट → हिंसा की संभावना → सुरक्षित अस्वीकृति और अलगाव की आवश्यकता

निष्कर्ष: जाति-उन्मूलन का वास्तविक मोर्चा विवाह

इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि जाति की कोई भी गंभीर समझ विवाह को केंद्र में रखे बिना पूरी नहीं हो सकती। जब तक समाज सजातीय विवाह को सम्मानजनक और अंतरजातीय विवाह को अपमान मानता रहेगा, जाति संविधान में कमजोर और घर-परिवार में शक्तिशाली बनी रहेगी। जाति केवल अपमान, भेदभाव या आरक्षण के विरोध में नहीं टिकती; वह विवाहों, संबंधों, वर-वधू चयन, सामुदायिक सभाओं, परिवार-सम्मान और बेटी की प्रतिष्ठा की भाषा में टिकती है। इसलिए जाति-व्यवस्था को कमजोर करने के लिए सजातीय विवाह की सामाजिक प्रतिष्ठा को चुनौती देना आवश्यक है। अंतरजातीय विवाह को विचलन, विद्रोह या असभ्यता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाज-निर्माण और जाति-विघटन की प्रक्रिया के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।

दबावपूर्ण विवाहों से जुड़े हालिया हत्या-प्रकरण इस निष्कर्ष को और कठोर बनाते हैं। यदि विवाह में वास्तविक सहमति नहीं है, तो केवल रस्म, परिवार-सहमति या जाति-अनुकूलता विवाह को सुरक्षित संस्था नहीं बना सकती। जहाँ व्यक्ति को खुलकर "नहीं" कहने का अधिकार नहीं मिलता, वहाँ विवाह का सामाजिक नियंत्रण कभी-कभी सीधे अपराध में बदल सकता है। इन मामलों में न्यायिक उत्तरदायित्व आरोप सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्तियों पर रहेगा, पर शोध का संरचनात्मक निष्कर्ष यह है कि जाति-व्यवस्था और दबावपूर्ण विवाह व्यवस्था ऐसी स्थितियाँ बनाती हैं जिनमें हिंसा की संभावना बढ़ती है। इसलिए जाति-उन्मूलन का प्रश्न केवल अंतरजातीय विवाह को बचाने का नहीं, बल्कि सहमति-विहीन विवाह को रोकने का भी प्रश्न है।

उपलब्ध प्रकरणों के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अंतरजातीय दंपतियों की सुरक्षा केवल निजी साहस पर नहीं छोड़ी जा सकती। जहाँ जाति-समूह सामूहिक दंड देता है, वहाँ प्रतिक्रिया भी सामूहिक होनी चाहिए। राज्य, न्यायालय, पुलिस-प्रशासन, नागरिक संगठन, महिला समूह, छात्र संगठन, श्रमिक संगठन और मानवाधिकार समूह मिलकर दंपतियों को सुरक्षित जीवन की शर्तें प्रदान करें। घर और संपत्ति से बेदखली को निजी पारिवारिक मामला मानना दंपति को असुरक्षित छोड़ना है। इसलिए सुरक्षित आवास, आर्थिक पुनर्वास, 12 से 24 महीनों का संक्रमण-समर्थन और दंपति-केंद्रित विधिक सहायता जाति-विघटन की सामाजिक नीति का मूल भाग होना चाहिए।

अंतरजातीय विवाह के पक्ष में आंबेडकर का तर्क आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जाति ने आधुनिकता का वस्त्र पहन लिया है, पर विवाह में अपनी पुरानी संरचना बचाए रखी है। जाति-उन्मूलन केवल कानून, आरक्षण या राजनीतिक प्रतिनिधित्व से पूरा नहीं होगा। वह तब आगे बढ़ेगा जब विवाह, रिश्तेदारी और घरेलू नैतिकता की जाति-दीवारें कमजोर होंगी। यह निष्कर्ष व्यक्तिगत मत के रूप में नहीं, बल्कि प्रकरणों, साहित्य और नीतिगत विश्लेषण से निकलता है: जाति-सत्ता का सबसे टिकाऊ आधार सजातीय विवाह है, और उसकी सबसे सीधी सामाजिक चुनौती अंतरजातीय विवाह है। इसलिए अंतरजातीय विवाह को संरक्षण देना केवल दंपति की सुरक्षा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की संरचना को मजबूत करना है। लेख का समापन, मैं इस कविता के माध्यम से कर रहा हूँ। जो एक नया आगाज दे रही है।

जाति की दीवार

घोषणाएँ

हित-संघर्ष: लेखक कोई हित-संघर्ष घोषित नहीं करता। निधि: इस शोध को किसी निधि संस्था से विशिष्ट अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। नैतिकता: अध्ययन सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध दस्तावेज़ीय सामग्री पर आधारित है। जिन व्यक्तियों पर आरोप है पर न्यायिक निर्णय नहीं हुआ, उनकी पहचान नहीं दी गई है।

परिशिष्ट: प्रकरण-संहिताकरण और स्रोत-तालिकाएँ

तालिका **2.** प्रकरण-विश्लेषण की संहिताकरण योजना

संकेत	अर्थ	विश्लेषणात्मक उपयोग
विन्यास-एक	निम्न-जाति, दलित, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष और प्रभावशाली जाति की स्त्री।	स्त्री की वैवाहिक इच्छा और जाति-सम्मान पर नियंत्रण को समझना।
विन्यास-दो	प्रभावशाली जाति का पुरुष और दलित, निम्न या पिछड़ी जाति की स्त्री।	विरोध के उल्टे विन्यास और भीतर से आने वाली सजातीय निगरानी को समझना।
स्त्री-परिवार विरोध	स्त्री के पिता, भाई या संबंधियों द्वारा विरोध।	बेटी, सम्मान और स्त्री-स्वायत्तता पर नियंत्रण।
पुरुष-परिवार विरोध	पुरुष के परिवार द्वारा विरोध।	पितृवंशीय जाति-सुरक्षा और परिवार-मान्यता।
निम्न-पक्ष विरोध	दलित, निम्न या वंचित जाति-पक्ष से विरोध।	जाति-शुद्धता के आंतरिक पुनरुत्पादन को समझना।
पंचायत विरोध	पंचायत, खाप या जाति-संगठन द्वारा विरोध।	परिवार से ऊपर समुदाय-दबाव की पहचान।
हत्या	दंपति या संबंधित परिजन की हत्या।	प्रत्यक्ष जाति-हिंसा।
हमला	मारपीट, हथियार से हमला या सार्वजनिक दंड।	शारीरिक नियंत्रण और भय-निर्माण।
आगजनी	घर, बस्ती या संपत्ति पर हमला।	सामूहिक प्रतिशोध।
बहिष्कार-जुर्माना	सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक दंड या शुद्धि-दबाव।	दीर्घकालिक सामाजिक हिंसा।
संरक्षण-मांग	पुलिस या न्यायालय से सुरक्षा की मांग।	राज्य-सुरक्षा की आवश्यकता।

स्रोत: लेखक की संहिताकरण योजना।

तालिका **3.** निम्न-जाति पुरुष और प्रभावशाली-जाति स्त्री: चयनित प्रकरण

क्रम	स्थान और वर्ष	विवाह-विन्यास	विरोध और क्षति	स्रोत
क-1	उडुमलपेट, तमिलनाडु, 2016	दलित पुरुष और थेवर स्त्री।	दिन-दहाड़े हमला; पुरुष की हत्या और स्त्री घायल।	इंडियन एक्सप्रेस; हिंदुस्तान टाइम्स।
क-2	धर्मपुरी, तमिलनाडु, 2012-13	दलित पुरुष और वन्नियार स्त्री।	दलित बस्तियों पर हिंसा और आगजनी; बाद की मृत्यु विवादित।	इंडियन एक्सप्रेस; टाइम्स ऑफ इंडिया।
क-3	मिर्यालगुडा, तेलंगाना, 2018	दलित पुरुष और प्रभावशाली जाति की स्त्री।	हत्या, जिसका आरोप स्त्री के पिता पर केंद्रित हुआ।	इंडियन एक्सप्रेस; टाइम्स ऑफ इंडिया।
क-4	हैदराबाद, तेलंगाना, 2018	अनुसूचित जाति पुरुष और अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री।	स्त्री के पिता द्वारा हथियार से हमला।	इंडियन एक्सप्रेस; टाइम्स ऑफ इंडिया।
क-5	होसूर और कृष्णागिरि क्षेत्र,	दलित पुरुष और वन्नियार स्त्री।	विवाह के बाद दंपति की हत्या।	टाइम्स ऑफ इंडिया।

क्रम	स्थान और वर्ष	विवाह-विन्यास	विरोध और क्षति	स्रोत
	तमिलनाडु, 2018			
क-6	गुजरात, 2019	दलित पुरुष और दरबार जाति की स्त्री।	पुरुष की हत्या।	एनडीटीवी; बिजनेस स्टैंडर्ड।
क-7	रोहतक, हरियाणा, 2018	दलित पुरुष और जाट स्त्री।	न्यायालय परिसर के बाहर हत्या।	हिंदुस्तान टाइम्स; इंडियन एक्सप्रेस; टाइम्स ऑफ इंडिया।
क-8	अल्मोड़ा, उत्तराखंड, 2022	दलित पुरुष और राजपूत स्त्री।	सुरक्षा मांगने के बाद हत्या की सूचना।	इंडियन एक्सप्रेस; टाइम्स ऑफ इंडिया; हिंदुस्तान टाइम्स।
क-9	कैथल, हरियाणा, 2024	अनुसूचित जाति पुरुष और प्रभावशाली जाति की स्त्री।	हत्या और हमला, स्त्री के भाई से संबंधित आरोप।	टाइम्स ऑफ इंडिया; एनडीटीवी।
क-10	धारवाड़, कर्नाटक, 2025	दलित पुरुष और लिंगायत स्त्री।	गर्भवती स्त्री की हत्या की सूचना।	इंडियन एक्सप्रेस; टाइम्स ऑफ इंडिया।
क-11	कैमूर, बिहार, 2017	अति पिछड़ा वर्ग युवक और प्रभावशाली जाति की स्त्री।	युवक के माता-पिता की हत्या; बहनें घायल।	टाइम्स ऑफ इंडिया।
क-12	तमिलनाडु, 2003; उच्चतम न्यायालय निर्णय 2025	दलित पुरुष और वन्नियार स्त्री।	दंपति की हत्या; दोषसिद्धि उच्चतम न्यायालय ने कायम रखी।	उच्चतम न्यायालय; द हिंदू; एनडीटीवी।

स्रोत: उद्धृत समाचार और न्यायिक स्रोतों से संकलित; जहाँ न्यायिक निर्णय नहीं हुआ, वहाँ आरोपित व्यक्तियों के नाम नहीं दिए गए।

तालिका 4. प्रभावशाली-जाति पुरुष, निम्न-जाति स्त्री और भीतर से विरोध: चयनित प्रकरण

क्रम	स्थान और वर्ष	विवाह-विन्यास या स्थिति	विरोध और नियंत्रण	स्रोत
ख-1	जींद, हरियाणा, 2018	जाट युवक और धनक स्त्री।	युवक के भाई की हत्या, स्त्री के समुदाय से संबंधित आरोप।	टाइम्स ऑफ इंडिया; हिंदुस्तान टाइम्स।
ख-2	मोखरा, रोहतक, 2013	जाट युवक और दलित स्त्री।	गाँव छोड़ने का पंचायत दबाव और जुर्माना।	टाइम्स ऑफ इंडिया।
ख-3	दरभंगा, बिहार, 2011	प्रभावशाली जाति युवक और अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री।	विवाह के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित घरों में आगजनी।	इंडियन एक्सप्रेस।
ख-4	कांगयम, तमिलनाडु, 2019	प्रभावशाली जाति पुरुष और दलित स्त्री।	दंपति पर हमला; पानी और मंदिर पहुँच पर रोक की सूचना।	न्यू इंडियन एक्सप्रेस।
ख-5	विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	प्रभावशाली जाति युवक और दलित स्त्री।	22 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार।	द हिंदू।
ख-6	जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़	कुर्मी युवक और साहू स्त्री।	जाति समुदाय द्वारा ₹ 250000 का जुर्माना।	दैनिक भास्कर।
ख-7	बालाघाट, मध्य प्रदेश, 2025	रविदास समुदाय परिवार और मेश्राम समुदाय स्त्री।	बहिष्कार, ₹ 31000 जुर्माना और भोज की मांग।	दैनिक भास्कर।
ख-8	चतरा, झारखंड, 2024	मंत्री-परिवार में अंतरजातीय विवाह।	जाति-संगठन द्वारा सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा।	दैनिक भास्कर।
ख-9	बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 2025	वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का अंतरजातीय विवाह।	जाति-संगठनों द्वारा बहिष्कार का आरोप।	दैनिक भास्कर।
ख-10	पुणे, विवाह 1998; प्राथमिकी 2023	अंतरजातीय विवाह।	23 वर्ष तक जाति-पंचायत बहिष्कार का आरोप।	इंडियन एक्सप्रेस।
ख-11	झाँसी, उत्तर प्रदेश, 2025	यादव महिला आरक्षी और पटेल निरीक्षक।	दोनों परिवारों की सहमति के बावजूद पंचायत द्वारा ₹ 2000000 का जुर्माना।	न्यू इंडियन एक्सप्रेस; दैनिक भास्कर।
ख-12	नबरंगपुर, ओडिशा	गौड़ा पुरुष और निम्न-जाति स्त्री।	25 वर्ष तक सामाजिक बहिष्कार, शुद्धि और जुर्माना।	टाइम्स ऑफ इंडिया।

स्रोत: उद्धृत समाचार स्रोतों से संकलित; मौद्रिक आँकड़े भारतीय रुपये में दिए गए हैं।

तालिका 5. विवाह-पूर्व संबंध और निकटता की निगरानी: चयनित प्रकरण

क्रम	स्थान और वर्ष	स्थिति	विश्लेषणात्मक स्थिति	स्रोत
ग-1	नांदेड़, महाराष्ट्र, 2025	अनुसूचित जाति या बौद्ध युवक और अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री; संबंध या प्रस्तावित विवाह।	स्त्री द्वारा पिता और भाइयों के विरुद्ध जाति-हत्या का आरोप।	टाइम्स ऑफ इंडिया; इंडियन एक्सप्रेस; हिंदुस्तान टाइम्स।
ग-2	बीदर, कर्नाटक, 2025	दलित छात्र और प्रभावशाली जाति की स्त्री; संबंध।	स्त्री के पिता और भाई पर हत्या का आरोप।	हिंदुस्तान टाइम्स।
ग-3	तिरुनेलवेली, तमिलनाडु, 2025	अनुसूचित जाति युवक और अन्य पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग स्त्री; संबंध।	स्त्री के भाई पर हत्या का आरोप।	टाइम्स ऑफ इंडिया।

क्रम	स्थान और वर्ष	स्थिति	विश्लेषणात्मक स्थिति	स्रोत
ग-4	मयिलादुथुरै, तमिलनाडु, 2025	दलित युवक; दीर्घ संबंध और विवाह की इच्छा।	कारण विवादित; गणना से बाहर।	इंडिया टुडे; टाइम्स ऑफ इंडिया।
ग-5	पुडुकोट्टै, तमिलनाडु, 2026	दलित युवक और मध्यवर्ती जाति की स्त्री।	धमकी, कथित जबरन विवाह और संदिग्ध मृत्यु; विवादित।	टाइम्स ऑफ इंडिया।
ग-6	मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, 2010	विवाह-पूर्व संबंध।	प्रारंभिक सम्मान-हत्या समाचार बाद में गलत पाया गया; गणना से बाहर।	टाइम्स ऑफ इंडिया।

स्रोत: विवादित प्रकरण केवल पद्धतिगत चर्चा के लिए रखे गए हैं और किसी गणना में शामिल नहीं हैं।

तालिका 6. खाप, जाति-पंचायत और नीति-स्रोत

स्रोत या प्रकरण	मुख्य संकेत	विश्लेषणात्मक उपयोग
शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, 2018	वयस्कों की वैवाहिक पसंद में खाप या सभा का हस्तक्षेप असंवैधानिक है।	वैवाहिक स्वतंत्रता और राज्य-सुरक्षा।
लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006	अंतरजातीय विवाह करने वाले वयस्कों की सुरक्षा और पुलिस-प्रशासन की जिम्मेदारी।	दंपति-सुरक्षा का विधिक आधार।
विधि आयोग प्रतिवेदन संख्या 242, 2012	सम्मान और परंपरा के नाम पर विवाह-संबंधों में हस्तक्षेप रोकने का विधिक ढाँचा।	खाप और जाति पंचायतों का विधिक विश्लेषण।
महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार निवारण अधिनियम, 2017	सामाजिक बहिष्कार और जाति पंचायतों को विधिक श्रेणी में लाता है।	धीमी सामाजिक हिंसा की विधिक पहचान।
राजस्थान उच्च न्यायालय समाचार-वृत्त, 2026	जाति और खाप फरमानों को मूल अधिकारों के विरुद्ध बताया गया।	सामाजिक बहिष्कार-विरोधी नीति की आवश्यकता।

स्रोत: न्यायिक, नीतिगत और समाचार स्रोतों से संकलित।

तालिका 7. दबावपूर्ण विवाह, अस्वीकारित प्रेम और हिंसक निकास: चयनित हालिया प्रकरण

क्रम	स्थान और वर्ष	संबंध की स्थिति	रिपोर्ट में दबाव या असहमति का आधार	लेख में विश्लेषणात्मक उपयोग
घ-1	पुणे, महाराष्ट्र, 2026	मंगनी और प्रस्तावित विवाह	परिवार का सामना न कर पाने, विवाह के प्रति अनिच्छा और कथित पूर्व संबंध का पुलिस-कथन।	विवाह-पूर्व दबाव, मंगनी और हिंसक निकास का प्रतिरूप।
घ-2	श्रीगंगानगर, राजस्थान, 2026	नवविवाह	लंबे प्रेम-संबंध की पारिवारिक जानकारी के बावजूद दूसरे व्यक्ति से विवाह।	इच्छा-विरुद्ध विवाह के बाद पति को बाधा मानने की कथित प्रक्रिया।
घ-3	औरैया, उत्तर प्रदेश, 2025	विवाह के लगभग पंद्रह दिन बाद	पूर्व प्रेम-संबंध और विवाह के तुरंत बाद कथित भाड़े की हिंसा।	विवाह-दबाव, आर्थिक संसाधन और नियोजित हिंसा का संबंध।
घ-4	औरंगाबाद, बिहार, 2025	विवाह के लगभग पैंतालीस दिन बाद	इच्छा-विरुद्ध विवाह और विवाह-पूर्व संबंध का पुलिस-कथन।	दबावपूर्ण विवाह और वैध निकास के अभाव का प्रकरण।
घ-5	इंदौर-मेघालय, 2025	नवविवाह	परिवार-दबाव, समुदाय-भीतर विवाह और पूर्व प्रेम-संबंध संबंधी विवादित रिपोर्टें।	सावधानीपूर्वक उपयोग योग्य विवादित प्रकरण; निर्णायक अपराध-सिद्धि की तरह नहीं।

स्रोत: 2025 और 2026 में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों से संकलित; जहाँ न्यायिक निर्णय नहीं हुआ, वहाँ भाषा आरोप, पुलिस-कथन और कथित भूमिका तक सीमित रखी गई है।

संदर्भ-सूची

Ambedkar, B. R. (2014). Annihilation of caste: The annotated critical edition (S. Anand, Ed.). Verso. (Original work published 1936)

Berreman, G. D. (1972). Race, caste, and other invidious distinctions in social stratification. Race & Class, 13(4), 385–414.

Bittles, A. H., & Black, M. L. (2010). Consanguinity, human evolution, and complex diseases. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(Suppl. 1), 1779–1786. https://doi.org/10.1073/pnas.0906079106

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241–258). Greenwood Press.

Chakravarti, U. (2018). Gendering caste: Through a feminist lens (Rev. ed.). Sage.

Chowdhry, P. (2007). Contentious marriages, eloping couples: Gender, caste, and patriarchy in northern India. Oxford University Press.

Deshpande, A. (2011). The grammar of caste: Economic discrimination in contemporary India. Oxford University Press.

Dr. Ambedkar Foundation. (2023, January 13). Merger of Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages & Dr. Ambedkar National relief to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes victims of Atrocities Schemes of DAF. Ministry of Social Justice & Empowerment. https://daic.gov.in/assets/circular/Merger%20of%20Dr.%20Ambedkar%20Scheme%20for%20Social%20Integration%20through%20InterCaste%20Marriages%20and%20Dr.%20Ambedkar%20National%20relief%20to%20the%20scheduled%20castes%20and%20scheduled%20tribes%20Victims%20of%20Atrocities%20Schemes%20of%20DAF.pdf

Dumont, L. (1980). Homo hierarchicus: The caste system and its implications (Complete rev. ed.). University of Chicago Press.

Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.

Grover, S. (2018). Marriage, love, caste and kinship support: Lived experiences of the urban poor in India (2nd ed.). Routledge.

Gupta, D. (2000). Interrogating caste: Understanding hierarchy and difference in Indian society. Penguin.

Guru, G. (Ed.). (2009). Humiliation: Claims and context. Oxford University Press.

Jodhka, S. S. (2018). Caste in contemporary India (2nd ed.). Routledge.

Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). Sage.

Law Commission of India. (2012). Prevention of interference with the freedom of matrimonial alliances in the name of honour and tradition: A suggested legal framework (Report No. 242). Government of India.

Lata Singh v. State of U.P. & Another, (2006) 5 SCC 475 (India).

Maharashtra Prohibition of People from Social Boycott (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, No. 11 of 2017 (India).

Ministry of Social Justice and Empowerment. (2021, March 9). Steps taken by government to deal with casteism and promote inter-caste marriages. Press Information Bureau. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1703556

Mody, P. (2008). The intimate state: Love-marriage and the law in Delhi. Routledge.

Moorjani, P., Thangaraj, K., Patterson, N., Lipson, M., Loh, P.-R., Govindaraj, P., Berger, B., Reich, D., & Singh, L. (2013). Genetic evidence for recent population mixture in India. The American Journal of Human Genetics, 93(3), 422–438. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2013.07.006

Nakatsuka, N., Moorjani, P., Rai, N., Sarkar, B., Tandon, A., Patterson, N., Bhavani, G. S., Girisha, K. M., Mustak, M. S., Srinivasan, S., Kaushik, A., Angural, A., Govindaraj, P., Sitalaximi, T., Reddy, A. G., Jadhav, V., Vyas, P., Khan, A., Pradhan, M., ... Reich, D. (2017). The promise of discovering population-specific disease-associated genes in South Asia. Nature Genetics, 49(9), 1403–1407. https://doi.org/10.1038/ng.3917

Narzary, P. K., & Ladusingh, L. (2019). Discovering the saga of inter-caste marriage in India. Journal of Asian and African Studies, 54(4), 588–599.

Shakti Vahini v. Union of India, (2018) 7 SCC 192 (India).

Sharma, S. (2015). Caste-based crimes and economic status: Evidence from India. Journal of Comparative Economics, 43(1), 204–226.

Tamalapakula, S. (2019). The politics of inter-caste marriage among Dalits in India: The political as personal. Asian Survey, 59(2), 315–336.

The Times of India. (2026a, April 17). From temples to marriages, caste lines hold firm in Telangana society. https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/from-temples-to-marriages-caste-lines-hold-firm-in-telangana-society/articleshow/130316789.cms

The Times of India. (2026d, April 12). Caste panchayat diktats unconstitutional, frame law to curb social boycott: HC to govt. https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/caste-panchayat-diktats-unconstitutional-frame-law-to-curb-social-boycott-hc-to-govt/articleshow/130198833.cms

Vishwanath, J., & Palakonda, S. C. (2011). Patriarchal ideology of honour and honour crimes in India. International Journal of Criminal Justice Sciences, 6(1–2), 386–395.

Welchman, L., & Hossain, S. (Eds.). (2005). Honour: Crimes, paradigms, and violence against women. Zed Books.

Begam, A. (2025, June 13). Questions nobody's asking on Meghalaya honeymoon murder case. ThePrint. https://theprint.in/opinion/question-nobodys-asking-on-meghalaya-murder-why-is-inter-caste-love-a-rebellion-in-india/2656006/

Hindustan Times. (2026, February 5). Newlywed wife plots husband's murder with lover in Rajasthan, masks it as hit-and-run; 4 arrested. https://www.hindustantimes.com/cities/jaipur-news/raj-newlywed-wife-plots-husband-s-murder-with-lover-masks-it-as-hit-and-run-4-arrested-101770283044758.html

India Today. (2025, June 10). Meghalaya honeymoon murder case: Sonam told her family about lover before marrying Raja, warned, says Raja's brother. https://www.indiatoday.in/india/story/meghalaya-honeymoon-murder-case-sonam-raghuvanshi-told-her-family-something-bad-would-happen-if-made-to-marry-raja-says-his-brother-2738749-2025-06-10

NDTV. (2025, June 11). "Will marry Raja Raghuvanshi but...": Sonam's threat to mother before wedding. https://www.ndtv.com/india-news/will-marry-raja-raghuvanshi-but-sonam-threat-to-mother-before-wedding-indore-missing-couple-meghalaya-honeymoon-raj-kushwaha-8638761

The Indian Express. (2025a, June 12). Meghalaya honeymoon murder: Sonam, Raj sought to shift blame during questioning, investigators say. https://indianexpress.com/article/india/meghalaya-honeymoon-murder-sonam-raj-sought-to-shift-blame-during-questioning-investigators-say-10061466/

The Indian Express. (2025b, July 4). Carefully checked travel plans, put out a hit – how a Bihar woman and her uncle "plotted" murder of her newly-wed husband. https://indianexpress.com/article/india/bihar-new-bride-arrested-murdering-husband-affair-uncle-10105682/

The New Indian Express. (2025, July 3). Bihar bride hires contract killers to allegedly murder husband 45 days after wedding. https://www.newindianexpress.com/india/2025/Jul/03/bihar-bride-hires-contract-killers-to-allegedly-murder-husband-45-days-after-wedding

The Times of India. (2025, March 25). Newly-wed woman hires killer with "shagun" money for hubby's murder. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kanpur/newly-wed-woman-hires-killer-with-shagun-money-for-hubbys-murder/articleshow/119493018.cms

The Times of India. (2026e, June 24). Ketan Agrawal murder: Eight months after meeting, how a fiancée and her lover plotted to kill Pune man Ketan Agrawal - timeline of events. https://timesofindia.indiatimes.com/india/eight-months-after-meeting-how-a-fiancee-and-her-lover-plotted-to-kill-pune-man-ketan-agrawal-timeline-of-events/articleshow/131973920.cms

The Times of India. (2026f, June 26). "Killing Ketan was easier than confronting my family": Siya Goyal's chilling

revelation to Pune cops. https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/killing-ketan-was-easier-than-confronting-my-family-siya-goyals-chilling-revelation-to-pune-cops/articleshow/132019940.cms